न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री योंगेश मिश्रा, प्रर्वतन निरिक्षक, किशनगढ अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री श्याम किराणा स्टोर निम्बार्कार्चार्य मंदिर के पास सलेमाबाद, तहसील किशनगढ
श्री बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा श्री निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद पुलिस थाना रूपनगढ

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 16.11.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, श्री योगेश मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक श्याम किराना स्टोर, सलेमाबाद पर पहुँचे । उक्त फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि में किया जा रहा था । गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए । फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर चाय बनाकर विक्रय करने के कार्य में घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग करना पाया गया, जो घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी के फर्म से निम्न गैस सिलेण्डरः–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	019005–T	HPCL	15.5	16.5	1	Domestic Cylinder
Total					1 Kg	

को कब्जेराज लिया गया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरो के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नंदसिह, कार्मिक मैसर्स श्री

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

अर्जुन एचपी गैस एजेन्सी, किशनगढ को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.09.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डरो को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 12.9.2022 को जिला रसद अधिकारी के जांच दल द्वारा मेरे विरूद्व घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से उपयोग करने पर मेरे विरूद्व धारा 6 ए के तहत कार्यवाही की गई है। मुझे कानून की जानकारी के अभाव में स्वयं अज्ञानतावंश उक्त कृत्य किया है आईन्दा मैं घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक कार्य में नही करूगा । भविष्य में उक्त कृत्य नही किये जाने व प्रकरण निरस्त हेतु निवेदन किया गया ।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 12.09.2022 के अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर, को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर